बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम जाति को जोड़ने के सम्बंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग बिहार अधिनियम-3,1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करेगी और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम-12,1993 की धारा-9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम जाति को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में समाविष्ट किया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची -1 में क्रमांक 108 पर सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम जाति को अंकित किया जाय ।

अतः समावेशन के फलस्वरूप सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़े वर्ग को मिलनेवाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएं अनुमान्य होंगी। यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा

आयोग/ पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

ह०/- हारुण रशीद

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 11/वि. 2-पि. व. आ.-03/97 का० 165 पटना-15, दिनांक 20 दिसम्बर, 97/16 मार्च, 98

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना /सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद/ कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षद को अविलम्ब सूचित करा दें।

ह०/- हारुण रशीद

सरकार के उपसचिव

पत्र संख्या-11/आ० 4-नीति 10-02/92 (खंड) का० 159

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री नवीन कुमार, सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 ।

विषय :- सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-123, दिनांक 6.7.92 द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया था कि किसी भी संवर्ग में एक ही पद सृजित है तो दूसरी बार उक्त पद पर जो रिक्ति होगी वह आरक्षित व्यक्ति की नियुक्ति से ही भरी जायेगी, सामान्य जाति से नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं०-9015/93 में पारित आदेश से विभागीय परिपत्र सं०-123, दिनांक 6.7.92 को निरस्त कर दिया गया । फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त परिपत्र सं०-5526-दिनांक 7.7.95 द्वारा निर्णय लिया गया कि एकल पद पर आरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-12871/1996 भारत संघ एवं अन्य बनाम माधव में दिनांक 18.9.96 को इस आशय का न्याय-निर्देश दिया गया है कि एकल पद पर रोस्टर/रोटेशन के आधार पर यदि आरक्षित वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय लिया जाता है तो असंवैधानिक नहीं होगा ।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त न्याय-निर्देश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति में किसी सेवा संवर्ग में जहां एक ही पद सृजित हो तो वैसे पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ संचालित रोस्टर/रोटेशन के अनुसार दिया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- नवीन कुमार

सचिव ।

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में "तिली" वर्ग को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग बिहार अधिनियम-3, 1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करेगी और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि "तिली" वर्ग को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में समाविष्ट किया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में क्रमांक-106 पर "तिली" जाति को अंकित किया जाय ।

अतः समावेशन के फलस्वरूप "तिली" जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एंव लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएं अनुमान्य होंगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः- अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा

आयोग/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 11/वि. रा. पि. व. आ. 17/96 का० 109 पटना-15, दिनांक 24 जुलाई, 97

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद/ कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/ लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव

संख्या-11/आ० 4-आ०नि० 05/90 का०-104

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० हलधर, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना, दिनांक 17 जुलाई, 1997

विषय :- **सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर अनुपालन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11/आ०4 - आ. नि. - 05/96 खंड-का. 64, दिनांक 30.4.97 द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया था कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में दिनांक 10.2.95 के पूर्व की रिक्तियों को पूर्व रोस्टर व्यवस्था के अनुसार (चालू रोस्टर प्रणाली की प्रक्रिया को अपनाते हुए) भरी जायेगी ।

माननीय उच्च न्यायालय ने अवमाननावाद संख्या 523/95 एवं 1235/95 में दिनांक 27.6.97 को इस आशय का न्याय निर्देश दिया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11/आ०4-आ० नि० 05/96 खण्ड का० 64 दिनांक 30.4.97 माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7009/1991 में दिनांक 8.4.95 को दिये गये न्याय निर्देश के विरुद्ध है साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान खंडपीठ द्वारा श्री आर. के. सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में दिये गये न्याय निर्देश के विपरीत है । राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र न्यायसंगत नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के सम्बन्ध में माननीय महाधिवक्ता द्वारा इस आशय का परामर्श दिया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11/आ० 04-आ० नि० -05/96 (खंड) का० 64, दिनांक 30-04-97 को वापस लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

अतः राज्य सरकार ने माननीय महाधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त परामर्श के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-11/आ० 04-आ० नि० 05/96 (खंड) का० 64, दिनांक 30.04.97 को वापस लेने का निर्णय लिया है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव

पत्र संख्या-11/आ० 4-आ०नि० 05/96 (पार्ट) का०-64

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० हलधर, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 30 अप्रील, 1997 ।

विषय :- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-11/आ. 4 आ. नि.-01/95 का.-117, दिनांक 30.9.95 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने के उपरान्त संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा । इसके पश्चात् सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति/मृत्यु एवं अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्ति उपलब्ध होगी उस रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा, जिस वर्ग से रिक्ति उपलब्ध हुई है अर्थात् सामान्य वर्ग की रिक्ति, सामान्य वर्ग से एवं आरक्षित वर्ग की रिक्ति को संबंधित आरक्षित वर्ग से ही भरी जायेगी ।

2. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त निर्णय उन सभी मामलों में लागू होगा, जिसमें नियुक्ति/प्रोन्नति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या-79/1979 (आर. के सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.2.95 को पारित आदेश के तत्लक्षी प्रभाव (Prospective effect) से लागू करने का न्याय निर्देश दिया है । इस बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता की राय प्राप्त की गयी ।

4. विधि विभाग एवं महाधिवक्ता, बिहार के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में विचारोपरान्त परिपत्र संख्या-117, दिनांक 30.9.95 की कंडिका-6 को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :-

(1) किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में दिनांक 10.2.95 के पूर्व की रिक्तियों, पूर्व रोस्टर व्यवस्था के अनुसार (चालू रोस्टर प्रणाली की प्रक्रिया को अपनाते हुए) भरी जायेगी ।

(2) किसी सेवा संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में दिनांक 10.2.95 एवं 10.2.95 के बाद की रिक्तियाँ रिट याचिका संख्या-79/1979 (आर. के. सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिये गये न्याय निर्देश के आलोक में निर्गत परिपत्र संख्या-11/आ 4-आ. नि. -01/95 का.-117, दिनांक 30.9.95 के अनुसार भरी जायेगी ।

(3) यह आदेश, आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/- बी० के० हलधर
सरकार के सचिव

पत्र सं.-11/वि.-58/88 का.-113

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी. के. हलधर, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 1997 ।

विषय :- वेतनमान 2000-3800/- रुपये से नीचे के पदों के रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में ।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-716, दिनांक 15.12.82 द्वारा राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के रोस्टर क्लीयरेंस की शक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रदत्त की गयी थी ।

राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा ही सम्पादित किये जाने हेतु उन्हें प्राधिकृत करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्य सरकार द्वारा भली-भाँति विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है कि तत्काल वेतनमान 2000-3800 (दो हजार से अड़तीस सौ) रुपये के नीचे के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं आरक्षण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय निर्गत संकल्पों/परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में संबंधित प्रशासी विभाग के विभागीय सचिवों के माध्यम से किया जायेगा। जहाँ तक वेतनमान 2000-3800 (दो हजार से अड़तीस सौ) रुपये एवं उसके ऊपर के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस का प्रश्न है, यह पूर्व की भाँति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जाता रहेगा ।

विश्वासभाजन

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव

संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, दिनांक : 2 जुलाई, 1997

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : पद-आधारित आरक्षण रोस्टर-आर० के सब्बरवाल बनाम पंजाब सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा आदेशों के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण से संबंधित सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से रिक्ति-आधारित रोस्टर निर्धारित किया गया है । इन रोस्टरों के आधार पर आरक्षण लागू किए जाने के मुद्दे को न्यायालय में चुनौती दी गई । उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आर० के० सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य तथा जे० सी० मल्लिक बनाम रेल मंत्रालय के मामले में यह निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण पदों पर लागू किया जाना चाहिए, रिक्तियों पर नहीं । इस क्रम में आगे न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि रिक्ति-आधारित रोस्टर केवल उसी समय लागू रह सकते हैं, जब तक कि किसी एक संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व, आरक्षण की निर्धारित प्रतिबद्धता के बराबर नहीं हो जाता। उसके पश्चात रोस्टर लागू नहीं हो सकते और सामान्य श्रेणी तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व, आरक्षण की निर्धारित उम्मीदवारों की सेवा निवृत्ति, त्याग-पत्र और पदोन्नति से उद्भूत रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए ताकि आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता बनी रहे ।

2. न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि आरक्षित श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार, जो आरक्षण के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, आरक्षण के कोटे में नहीं गिने जाने चाहिए ।

3. आरक्षण-नीति को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा 200 बिन्दु, 40 बिन्दु और 120 बिन्दु वाले रिक्ति-आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर बनाए जाएं । सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस कार्यालय-ज्ञापन के अनुबंध में दी गई व्याख्यात्मक टिप्पणी में विस्तारपूर्वक दिए गए सिद्धान्तों और अनुबंध II, III और 12 के रूप

में संलग्न नमूना रोस्टरों में दिए गए उदाहरणों के आधार पर संबंधित रोस्टर तैयार करें । इसी प्रकार संबंधित प्राधिकारी, समूह 'ग' और 'घ' पदों में स्थानीय भर्ती के संबंध में मौजूदा 100 बिन्दु वाले रोस्टर को प्रतिस्थापित करने के लिए इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर रोस्टर तैयार करें ।

4. व्याख्यात्मक टिप्पणियों में रोस्टर तैयार करने के लिए विस्तार से प्रतिपादित सिद्धान्तों को नीचे संक्षेप में दोहराया गया है ।

(क) चूँकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पदोन्नति में लागू नहीं होता, अतः सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए अलग-अलग रोस्टर बनाया जाना चाहिए ।

(ख) रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या, संवर्ग में पदों की संख्या के बराबर होनी चाहिए । यदि भविष्य में कभी संवर्ग की पद संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि अथवा कमी होती है तो रोस्टर को भी इसी के अनुरूप बढ़ाया/संकुचित किया जाना चाहिए ।

(ग) रोस्टर बनाए जाने के प्रयोजन से, संवर्ग का अभिप्राय एक विशिष्ट ग्रेड से होगा तथा इसमें लागू भर्ती-नियमों के अनुसार भर्ती की एक विशिष्ट रीति से भरे जाने वाले पदों की संख्या शामिल होगी ।

अतः यदि 200 पदों के किसी संवर्ग में जहां भर्ती नियमों में, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 50:50 का अनुपात निर्धारित किया जाता है , तो संबंधित मॉडल रोस्टरों के अनुरूप, प्रत्येक 100-100 बिन्दु वाले दो रोस्टर बनाए जाएंगे अर्थात एक रोस्टर सीधी भर्ती के लिए और एक रोस्टर पदोन्नति (जब पदोन्नति में आरक्षण लागू होता हो) के लिए,

(घ) चूँकि आरक्षण स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण में लागू नहीं होता है, जहां भर्ती नियमों में, इस पद्धति से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता निर्धारित की होती हैं तो वहां रोस्टर तैयार करते समय ऐसे पदों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(ङ) 13 पदों तक वाले छोटे संवर्ग का रोस्टर तैयार होने की निर्धारित पद्धति में, सभी वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं है । ऐसे मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा, इस विभाग के दिनांक 28-1-1952 के कार्यालय ज्ञापन सं० 42/12/49-एन० जी० एस० के अनुसार तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित पुस्तिका (आठवां संस्करण) के पृष्ठ 70 से 74 पर पुनः दोहराये गए तदनुरूपी आदेशों के अनुसार भिन्न-भिन्न संवर्गों में पदों के ग्रुप बनाए जाने के संबंध में विचार किया जाए तथा इस प्रकार के पदों के ग्रुप बनाए जाने के संबंध में सामान्य रोस्टर तैयार किया जाए । यदि ऐसा ग्रुप बनाया जाना संभव न हो तो 13 पदों तक की संवर्ग पद संख्या के संबंध में संलग्न रोस्टर (अनुबंध II, III व II /परिशिष्ट) का अनुपालन किया जाए । इन रोस्टरों के परिचालन किए जाने संबंधी सिद्धान्त का व्याख्यात्मक टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है ।

5. रोस्टरों के प्रारंभिक परिचालन के चरण पर मौजूदा नियुक्तियों को रोस्टर में समायोजित किया जाना आवश्यक होगा । इससे, संवर्ग में संबंधित वर्गों में आरक्षण की कोई अधिकता/कमी, यदि कोई हो तो उसकी भी पहचान

किए जाने में मदद मिलेगी । ऐसा, सर्वप्रथम नियुक्ति से आरम्भ करके तथा मॉडल रोस्टरों के साथ संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणियों में यथा उल्लिखित तरीके से रोस्टरों में प्रत्येक बिन्दु के लिए 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा प्रयुक्त, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त रूप से चिह्नित करके किया जाए । जहां तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, इस प्रकार का समायोजन करते समय, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों की नियुक्तियां आरक्षण के लिए नहीं की जाएं, जो योग्यता-क्रम (तथा आरक्षण के कारण नहीं) में लाये गये थे । अन्य शब्दों में उन्हें सामान्य वर्ग की नियुक्तियों के लिए माना जाना है ।

6. नियुक्तियों की अधिकता, यदि कोई हो तो उसे भविष्य में होनेवाली नियुक्तियों से समायोजित किया जाएगा तथा मौजूदा नियुक्तियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे रोस्टर तैयार करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करें तथा उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें लागू करें ।

8. इस विषय पर मौजूदा आदेश, इसमें बताई गई सीमा तक संशोधित समझे जाएं ।

9. ये आदेश, इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे । तथापि, जहां चयन पहले ही किए जा चुके हैं वहां कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है तथा भविष्य में ऐसे मामलों में आवश्यक समायोजन किया जाए । अन्य मामलों में भर्ती संशोधित रोस्टर लागू हो जाने तक रोक दी जाए तथा भर्ती उक्त अनुदेशों के अनुसार की जाए ।

ह०/-वाई० जी० परांडे

निदेशक

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोकसेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली ।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी० जी० ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
6. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-1 भीकाजी-कामा-प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
9. कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

संख्या 20011/1/96-स्था० (घ)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।

नई दिल्ली, दिनांक : 20-1-97

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : सामान्य श्रेणी के पदोन्नत अधिकारियों की तुलना में पहले पदोन्नत, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आधिकारियों की वरिष्ठता ।

गृह मंत्रालय के दिनांक 22-12-1959 के का० ज्ञा० 9/11/55-आर० पी० एस० के सामान्य सिद्धांत 5(i) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4-11-1992 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2011/5/90-स्था० (घ) के साथ पठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3-7-1986 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/7/86-स्था० (घ) पैरा 2.2 के अनुसार किसी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता का निर्धारण, नियमानुसार उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय दर्शायी गई वरीयता-क्रम से किया जाएगा तथा विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण, ऐसी पदोन्नति के लिए किये गये चयन-क्रम के अनुसार किया जाएगा । अत: पूर्व की चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ हो जायेंगे जिनकी पदोन्नति बाद की चयन प्रक्रिया से होगी ।

2. उच्चतम न्यायालय द्वारा 10-10-1995 को भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान इत्यादि (जे टी 1995 (7) एस. सी. 231) के मामले में दिया गया निर्णय इस प्रकार है :-

"जहाँ तक कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को आरक्षण/रोस्टर के नियम के कारण उससे वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के किसी उम्मीदवार से पहले पदोन्नत कर दिया जाता है और सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ उम्मीदवार को बाद में उसी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति किया जाता है तो सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार उससे पहले इस प्रकार से पदोन्नत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की तुलना में पुन: वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा । ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की पदोन्नति पहले होने से वह सामान्य उम्मीदवार से वरिष्ठ नहीं हो जाएगा चाहे सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार उस वर्ष में बाद में पदोन्नति होता हो ।"

उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता निर्धारित करने की वर्तमान नीति संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ।

उपर्युक्त पैरा 2 की दी गई पद्धति के अनुसार पदोन्नति पर तदनुसार गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 22-12-59 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/11/55- आर० पी० एस० के सामान्य सिद्धांत 5 (i) में, तथा इस विभाग की संख्या 22011/7/86- स्था० (घ) दिनांक 3-7-1986 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.2 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ने का निर्णय लिया गया है ।

"बशर्ते कि यदि किसी आरक्षित रिक्ति पर अनसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी उम्मीदवार को अगले उच्चतर पद/ग्रेड में उससे वरिष्ठ सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार, जिसे बाद में उक्त अगले उच्चतर पद/ग्रेड पर पदोन्नत किया जाता है, से पहले पदोन्नत कर दिया जाता है , तो सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार उक्त अगले उच्चतर पद/ग्रेड में इस प्रकार से पहले पदोन्नत किए गए अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की अपेक्षा अपनी वरिष्ठता दोबारा प्राप्त कर लेगा ।"

ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के तारीख से प्रभावी होगे ।

ह०/-के० के० झा

निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग आदि ।

प्रतिलिपि,

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
2. सचिव, संघ लोक सेवा, आयोग, नई दिल्ली ।
3. राज्यसभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय ।
4. सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें/प्रशासन ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
6. अनु० जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।
8. सचिव, स्टाफ पक्ष. राष्ट्रीय परिषद (जे सी एम), 9 अशोका रोड, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार जेनरल, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी अधिकारी / अनुभाग ।
11. स्थापना (घ) के लिए 500 अतिरिक्त प्रतियां ।

पत्र संख्या-11/आ. 04-नीति-03/93 का.-97

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मो० हारुण रशीद, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 30 जून, 1997 ।

विषय :- विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों के सदस्य के रूप में मनोनयन ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री सी. लाल स्वेता, ईख आयुक्त, श्री एस. के. नेगी, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा-सह-विशेष सचिव एवं श्री बी. बी. विश्वास, प्रबंध निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा विभाग के स्तर पर गठित स्थापना समिति/प्रोन्नति समिति की बैठक में भाग लेने के बिन्दु पर की गई पृच्छा के क्रम में सूचित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) नियमावली, 1957 में किये गये संशोधन के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति के प्रयोजनार्थ कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या-7/पी. एस. सी. 3/90 (खंड) का. - 25, दिनांक 2.1.91 (प्रति संलग्न) के द्वारा विभिन्न विभागों को चार समूह में विभक्त किया गया है । प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गई है ।

समूह "क" के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष सदस्य, राजस्व पर्षद, समूह "ख" के लिए गठित प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष सचिव, जल संसाधन विभाग, समूह "ग" के लिए अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं समूह "घ" के लिए अध्यक्ष, अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो को बनाया गया है ।

उपरोक्त समूह के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत किया जाना है ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-15, दिनांक-3.2.97 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों का मनोनयन किया गया है । उक्त समिति के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के मनोनीत पदाधिकारियों को

उपरोक्त समूह की बैठक में ही भाग लेना है । विभाग के स्तर पर गठित विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों का मनोनयन अलग से किया जाता है ।

विश्वासभाजन

ह०/- मो० हारुण रशीद

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-11/आ० 4-नीति-03/93 का० 97 पटना-15, दिनांक 30 जून, 1997

प्रतिलिपि श्री पी. के. जजोरिया, निदेशक, समाज कल्याण/ श्री बी० बी० विश्वास, निदेशक, सांख्यिकी विभाग/श्री सी० लाल स्वेता, ईख आयुक्त/श्री अजय कुमार, निदेशक, पंचायती राज निदेशालय/श्री एस० के० नेगी, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा-सह-विशेष सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- मो० हारुण रशीद

सरकार के उप सचिव

पत्र सं०-11/वि० न्याय-12/96 का०-35

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० हलधर, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य के अन्य लोक उपक्रम ।

पटना-15, दिनांक 5 मार्च, 1997

विषय :- **बिहार राज्य में बसने वाली गोड़ (GOUR) तथा गोंड़ (GONR) जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर गोंड (GOND) जाति की तरह अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-25, दिनांक 25.2.91 को निरस्त करने के संबंध में ।**

महोदय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-11/वि०-26/89-का०-25, दिनांक 25.2.91 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि सम्पूर्ण बिहार राज्य में बसने वाली गोड़ (GOUR) एवं गोंड़ (GONR) जातियों को गोंड (GOND) अनुसूचित जनजाति मानते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय । गोड़ (GOUR) या गोंड़ (GONR) जातियां सम्पूर्ण बिहार राज्य में गोंड (GOND) की भाँति अनुसूचित जनजाति माने जायेंगे ।

2. विभागीय पत्रांक 124, दिनांक 25.9.91 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त निर्गत संकल्प को मान्यता देने का अनुरोध किया गया था । भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 12016/17/81 एस. सी. डी. (आर. सेल) दिनांक 25.2.92 द्वारा यह संसूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-11/वि०26/89 का०-25, दिनांक 25.2.91 असंवैधानिक है तथा इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया था ।

3. राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-11/वि० 1-26/89 का० 25, दिनांक 25.2.91 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका संख्या-8466/1991 (श्री रामचन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15-7-93 को अपने न्याय निर्देश से उपर्युक्त संकल्प को निरस्त कर दिया ।

4. तदोपरान्त विभागीय पत्र संख्या-80, दिनांक 14.7.95 द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पुन: विचार करने का अनुरोध किया गया । पत्र संख्या-134, दिनांक 4.9.96 द्वारा स्मारित भी किया गया ।

5. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय में एक अन्य जनहित याचिका सी.डब्ल्यू. जे. सी. सं.-8105/1996 (सुश्री कांता टिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.9.96 को यह न्याय निर्देश दिया गया कि रिट याचिका संख्या-8466/91 (श्री रामचन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक 15.7.93 को दिए गये न्याय निर्देश का अनुपालन किया जाय । पुन: विभागीय पत्रांक 182, दिनांक 26.11.96 द्वारा फैक्स से भारत सरकार को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अविलम्ब अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया । परन्तु भारत सरकार से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

6. अत: भलीभाँति विचार करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 11/वि।-26/89 का०-25, दिनांक 25.2.91 को निरस्त कर दिया जाय। तदनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में बिहार के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 12 पर अंकित गोंड (GOND) जाति ही अनुसूचित जनजाति माने जायेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-11/वि० 5 न्याय-05/95 का० 21

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मो० हारुण रशीद, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष /सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग ।

पटना-15, दिनांक 17 फरवरी, 1997 ।

विषय :- सी. डब्लू. जे. सी. सं.-4114/94-श्रीमती शर्मिला कुमारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.96 को पारित स्थगन आदेश के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त वाद से संबंधित मामले में मुझे कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा सी. डब्लू जे. सी. नं.-4114/94 श्रीमती शर्मिला कुमारी बनाम राज्य सरकार में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.1.95 को पारित आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एस. एल.पी. सं०-10143/95 दायर किया गया था ।

इसी बीच श्रीमती शर्मिला कुमारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 16.1.95 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद दायर किया गया । फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना से बचने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अपने पत्र सं०-132, दिनांक 10.11. 95 द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया कि 38वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पुराने रोस्टर का अनुपालन किया जाय एवं पुराने रोस्टर के अनुसार ही चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ इस शर्त के साथ की जाय कि राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए एस. एल. पी. सं.-10143/95 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश से की गई नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.96 को सी. डब्लू. जे. सी. संख्या 4114/94 में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रासंगिक वाद में दिनांक-16.1.95 को पारित आदेश को स्थगित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि जब तक इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय न हो जाय, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.1.95 को पारित आदेश स्थगित रहेगा ।

अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.1.95 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या-132, दिनांक 10.11.95 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.96 को पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित मानी जायेगी ।

विश्वासभाजन
ह०/- मो० हारुण रशीद
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक -11/वि० 5-न्याय-05/95 का०-21 पटना-15, दिनांक 17 फरवरी, 97 ।

प्रतिलिपि महाधिवक्ता, बिहार, पटना/उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- मो० हारुण रशीद
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में बक्खो (मुस्लिम) जाति, अदरखी जाति एवं छीपी जाति को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12,1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग बिहार अधिनियम 3,1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करेगी और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा 9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी ।

"पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा विधिवत जांच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि :-

1. बक्खो (मुस्लिम) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में समाविष्ट किया जाय ।

2. अदरखी जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में समाविष्ट किया जाय ।

3. छीपी जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में समाविष्ट किया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भलीभाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में क्रमांक-103 पर बक्खो (मुस्लिम, जाति, क्रमांक-104 पर अदरखी जाति एवं क्रमांक-105 पर छीपी जाति को अंकित किया जाय ।

इस समावेशन के फलस्वरूप बक्खो जाति, अदरखी जाति एवं छीपी जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएं अनुमान्य होंगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- अत: यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-11/वि० रा० पि० व० आ० - 10/98 का० 183 पटना-15, दिनांक 27 नवम्बर, 1996 ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद/ कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव

पत्र संख्या -11/वि० जाति नि०-02/96 का०-173

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० हलधर, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 9 नवम्बर, 96 ।

विषय :- **जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों को 30 (तीस) दिनों की समय-सीमा के अन्दर निष्पादित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राय: यह देखा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र समर्पित किए जाने के पश्चात् उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है ।

अत: राज्य सरकार ने आरिक्षत वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि आप अपने एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, यथा अनुमंडल पदाधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल पदाधिकारियों के स्तर पर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 (तीस) दिनों के अन्दर उन्हें आवश्यक रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाय । यदि किसी कारणवश संबंधित पदाधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अड़चन या कठिनाई महसूस करें तो उन्हें लिखित रूप से आवेदक को यह सूचना देनी होगी कि किन कारणों से उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलम्ब होगा या उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है ।

इस संबंध में कार्यालय द्वारा एक पंजी का संधारण किया जाय, जिसमें आवेदक का नाम/स्थायी पता/आवेदन प्राप्त होने की तिथि/जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि/जाति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किए जाने की स्थिति में आवेदक को सूचना दिए जाने के पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाय ।

किसी भी स्थिति में इसका अनुपालन किया जाना संबंधित पदाधिकारी के लिए आवश्यक होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० हलधर

सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये).आरक्षण अधिनियम, 1991 की अनुसूची II के क्रमांक 20 पर बनिया वर्ग के अन्तर्गत कलवार के बाद कोष्टक में 'कलाल/एराकी' जोड़ने के संबंध में ।**

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग द्वारा बिहार अधिनियम-3, 1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच की जायेगी और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जायेगी और उसके उपरांत राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा 9 (2) के अनुसार 'पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिये सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी ।

"पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग" द्वारा विधिवत जांच के उपरांत अनुशंसा की गयी है कि पिछड़े वर्ग की अनुसूची-II के क्रमांक 20 पर बनिया वर्ग के अन्तर्गत कलवार के बाद कोष्टक में कलाल/एराकी जोड़ दिया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-II के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया वर्ग के अंतर्गत कलवार के बाद कोष्ठक में 'कलाल/एराकी' जोड़ दिया जाय ।

इस समावेशन के फलस्वरूप "कलाल/एराकी" जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएं अनुमान्य होंगी । यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी ।

आदेश:- अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

ह०/- बी० के हलधर

सचिव

ज्ञापांक 11/वि० जाति नि० - 08/95 का० 164 पटना, दिनांक 17.10.1996

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित कर दें ।

ह०/- बी० के० हलधर

सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1991 की अनुसूची-I में नागर जाति एवं शेरशाहबादी जाति तथा अनुसूची-II में कुल्हैया जाति को जोड़ने के संबंध में ।**

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993, की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग द्वारा बिहार अधिनियम 3,1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच की जायेगी और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जायेगी । इसके उपरांत राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम 12,1993 की धारा-9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य रहेगी ।

"पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग" द्वारा विधिवत जांच के उपरांत अनुशंसा की गयी है कि :-

1. नागर जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) में समाविष्ट किया जाय ।
2. शेरशाहबादी जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) में समाविष्ट किया जाय ।
3. कुल्हैया जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) में समाविष्ट किया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भलीभाँति विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि "पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग" द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3,1992, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-I में नागर जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक-101 पर एवं शेरशाहबादी जाति को क्रमांक-102 पर तथा कुल्हैया जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) में क्रमांक-38 पर अंकित किया जाय ।

इस समावेशन के फलस्वरूप नागर जाति, शेरशाहबादी जाति एवं कुल्हैया जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग को मिलनेवाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी । यह लाभ 20 अगस्त, 1996 की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश:- अत: यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधानसभा/बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

ह०/- बी० के० हलधर

सचिव

ज्ञापांक 11/वि०2-पि० व० आ० 01/96 का०-135 पटना, दिनांक 04.09.96

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/ अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

ह०/- बी० के हलधर

सचिव ।

पत्र संख्या -11/वि०5-न्याय-1015/91 का०-93

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डलाधिकारी/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग ।

पटना-15, दिनांक 11 जुलाई, 1996 ।

विषय :- **लोहार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान करने हेतु औपबंधिक रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के विभागीय आदेश के निरस्त करने संबंधी विभागीय पत्रांक-43, दिनांक 23.3.95 के अनुपालन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के परामर्श एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक-134, दिनांक 14.11.95 से राज्य सरकार के इस निर्णय को संसूचित किया गया था कि लोहार जाति के सदस्यों को जांचोपरान्त पूर्णत: औपबंधिक रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2688/96-नित्यानन्द शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 2.2.96 को पारित आदेश से लोहार जाति के सदस्यों को बिहार राज्य में अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में घोषित किया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है ।

राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त सिविल अपील संख्या-2688/96 में दिनांक 2.2.96 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक 134 दिनांक 14.11.95 को विभागीय पत्रांक 43, दिनांक 23.3.96 द्वारा निरस्त कर दिया । उक्त पत्र में अनुरोध किया गया था कि पत्रांक 43, दिनांक 23.3.96 के निर्गत आदेश का अनुपालन आपके विभाग/कार्यालय द्वारा कराया जाय ।

परन्तु लोहार जाति के सदस्यों को पूर्णत: औपबंधिक रूप से निर्गत किए गए अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के जाति प्रमाण पत्रों को रद्द करने एवं इसके क्रम में अन्य कार्रवाई करने के संबंध में की गयी कार्रवाई की कोई भी सूचना अप्राप्त है ।

अत: अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 43, दिनांक 23.3.96 के अनुपालन के क्रम में की गयी कार्रवाई से अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव

पत्र संख्या 11/वि० 1-1038/91 का०-70

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 11 जून, 1996 ।

विषय :- **अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा नहीं दिये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 3902, दिनांक 20.11.91 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य सरकार को सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में बिहार राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (अनु० जाति/अनु० जनजाति) को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है किन्तु उन राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ दिया जाता है । इस प्रक्रिया से बिहार के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पर्याप्त एवं उपर्युक्त मात्रा में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है तथा सेवा में उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाता है ।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए आरक्षित श्रेणियों की सूची अलग-अलग निर्धारित कर परिचारित की गई है । इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची भी वर्ष 1978 में परिचारित की गई है जिसमें सिर्फ बिहार में बसने वाली पिछड़ी/अत्यन्त पिछड़ी जाति के समुदाय हैं । अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी पिछड़े एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची परिचारित की गई है ।

3. अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (अनु० जाति, अनु० जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग) को बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति नहीं करने के संबंध में महाधिवक्ता ने यह राय दी है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारें सीधी नियुक्तियों द्वारा पदों के भरने के क्रम में सिर्फ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के ही आरक्षित वर्ग की नियुक्ति करती हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में की जाय ।

4. राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त यह पाया है कि राज्य की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों की सम्पूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है । राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं ।

5. आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए विहित प्रावधान के अधीन जाति प्रमाण-पत्र देना यथावत प्रभावी रहेगा।

6. जहाँ तक इस परिपत्र को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद की रिक्तियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद की सहमति/परामर्श प्राप्त करने के बाद परिपत्र निर्गत किया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 11/वि०1-1038/91का०-70 पटना-15, दिनांक 11 जून, 1996

प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियुक्ति पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निगम/निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-11/का०नि०-07/96 का०-63

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मो० हारुण रशीद, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 6-5-1996

विषय :- **कनीय प्रवर कोटि मशीन प्लाई ब्याय से वरीय प्रवर कोटि मशीन प्लाई ब्याय के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-9277, दिनांक 29.5.91 की कंडिका-4 के अनुपालन में मुझे कहना है कि राज्य सरकार वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में निम्न रूप में कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

क्रम सं०	निम्नतर पद/वेतनमान	उच्चतर पद/वेतनमान	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि
1.	कनीय प्रवर कोटि मशीन प्लाई ब्याय 975-1540	वरीय कोटि मशीन प्लाई ब्याय 1200-1800	5 वर्ष
2.	कालावधि की गणना निम्नतर पद पर प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।		

विश्वासभाजन,

ह०/- मो० हारुण रशीद

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या -11/व०-06 न्याय-09/94 (अंश-II) का०-45

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 25 मार्च, 1996

विषय : राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हेतु पिछड़े वर्ग/अत्यन्त पिछड़े वर्गों के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-32, दिनांक 6.5.95 तथा पत्र संख्या-14, दिनांक 30.1.96 के आलोक में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आदेश दिया गया था ।

उपरोक्त उल्लिखित पत्र संख्या-32, दिनांक 6.5.95 के द्वारा इस आशय का आदेश दिया गया है कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए केवल जिला पदाधिकारी का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा ।

विभिन्न स्त्रोतों से इस आशय की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि सरकारी सेवा हेतु आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जिला पदाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की समस्याओं को देखते हुए भली-भाँति विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य समझा जाय ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या-32, दिनांक 6.5.95 की कंडिका-4 इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

सुविधा हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-32, दिनांक 6.5.95 एवं पत्र संख्या-14, दिनांक 30.1.96 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-11/व० 6-न्याय-09/94 (अंश-II) का०-45 पटना, दिनांक 25 मार्च, 96

प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

ह०/- एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-11/वि 5-न्याय-1015/91 (खंड) का०-43

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमण्डलाधिकारी/ बिहार लोक सेवा आयोग/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/बिहार सरकार के अन्य लोक उपक्रम/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के सचिव ।

पटना-15, दिनांक 23 मार्च, 1996

विषय :- लोहार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान करने हेतु औपबंधिक रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी विभागीय पत्रांक-134, दिनांक 14.11.1995 को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-12018/28/94-एस०सी०डी० (आर० सेल०), दिनांक 6.9.95 एवं डी० ओ० संख्या-12018/28-एस०सी०डी० (आर० सेल०), दिनांक 28.9.95 द्वारा दिए गए निदेशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक -134, दिनांक 14.11.95 द्वारा कुछ शर्तों के साथ यह निर्णय लिया था कि लोहार जाति के सदस्यों को जाँचोपरान्त पूर्णत: औपबंधिक रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2688/96-नित्यानन्द शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 2.2.1996 को पारित आदेश से लोहार जाति के सदस्यों को बिहार राज्य में अन्य पिछड़ी जाति के श्रेणी में घोषित किया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त सिविल अपील में पारित आदेश के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वत: रद्द हो जाता है जिसके अनुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक-134, दिनांक 14.11.95 निर्गत किया गया था ।

अतः राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त सिविल अपील में दिनांक 2.2.1996 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु निम्नांकित निर्णय लिया है :–

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक-11/वि 5-न्याय-1015/91 (खंड) का०-134, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 को निरस्त किया जाता है ।

2. लोहार जाति के सदस्यों को औपबंधिक रूप से निर्गत किये गए अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों को रद्द करने की कार्रवाई की जाय ।

3. लोहार जाति के सदस्यों को औपबंधिक रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करना बन्द कर दिया जाय ।

4. लोहार जाति के सदस्यों को औपबंधिक रूप से निर्गत अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर दी गयी सुविधा यथा, नियुक्ति/प्रोन्नति, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों में किये गए नामांकन को अविलम्ब रद्द किया जाय ।

आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से उपर्युक्त की जानकारी अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम/शैक्षणिक संस्थान एवं तकनीकी संस्थानों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलम्ब दी जाय तथा इसका अनुपालन अपने विभाग/कार्यालय द्वारा भी कराया जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० 4-आ०नि०-07/96 का०-38

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री महेश्वर पात्र, भा० प्र० से०, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार सरकार, पटना ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 18 मार्च, 1996

विषय :- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का बैक-लॉग रिक्तियों का प्रतिवेदन और उन रिक्तियों को भरने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 464, दिनांक 8.6.84 एवं 525, दिनांक 30.6.93 के आलोक में उपर्युक्त कोटि के रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-117, दिनांक 30.9.95 एवं 464, दिनांक 8.6.84 के अनुसार पदों के अग्रणित करने का प्रावधान है और राज्य सरकार द्वारा इन आरक्षण कोटियों में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में निर्धारित कोटा के अन्तर्गत रिक्तियों को भरने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है । तदनुसार अनुमान्य बैक-लॉग रिक्तियों की सूचना आरक्षणवार इस विभाग को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

आरक्षण भर्ती नियमावली अधिनियम 3/92 के आलोक में आपके द्वारा उन कोटियों की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की गई है तो कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- महेश्वर पात्र

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या -11/वि० 6-न्याय 09/94 का०-14

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमण्डलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 30 जनवरी, 1996

विषय :- राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हेतु पिछड़े वर्ग/अत्यन्त पिछड़े वर्गों के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल पिटीशन संख्या-631/94-श्री अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में, दिनांक 4.9.95 को पारित आदेश की प्रतिलिपि विभागीय पत्रांक-161, दिनांक 8.12.95 द्वारा भेजी गयी थी ।

विभागीय पत्रांक 105, दिनांक 29.12.95 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की अद्यतन अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 भेजी गयी है ।

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या-12011/68/93-बी०सी०सी० (सी०) दिनांक अक्टूबर, 1993 के साथ प्रकाशित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण, पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 36012/28/93-इस्ट (एस. सी. टी.) दिनांक 8.9.93 एवं 15.11.93 की प्रतियां अनुलग्नक के साथ विभागीय पत्रांक 17, दिनांक 6.2.94 द्वारा भेजी गयी है ।

उपर्युक्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में, पिछड़े वर्गों एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों के सदस्यों को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के लिए उन्हें जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में एक प्रपत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है एवं परिपत्र संख्या-32, दिनांक 6.6.93 के साथ संलग्न प्रपत्र संशोधित किया जाता है ।

कृपया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना देने का कष्ट किया जाय जिससे प्रमाण पत्र (संशोधित प्रपत्र में) निर्गत किये जाने में सुविधा हो ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

प्रपत्र

अत्यन्त पिछड़ा/ पिछड़ा वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पिता/पति श्री ..... ग्राम .....

पो० ..... थाना ..... अनुमंडल .....

जिला ..... बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अन्तर्गत ..... जाति के सदस्य हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग की कोटि (क्रीमी लेयर) में नहीं आते हैं।

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

सक्षम पदाधिकारी

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1917 (श०)

(सं० पटना 32) पटना, बुधवार, 17 जनवरी 1996

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

16 जनवरी, 1996

सं० एल० जी०-1-07/95-लेज०-23-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 11 जनवरी, 1996 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है –

(बिहार अधिनियम 6, 1996)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगा ।

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 में धारा 14 के बाद नई धारा का अन्तःस्थापन ।- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में धारा-14 के बाद निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा-

"14-अ. अधिनियम की अनुसूची 1 एवं 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति ।- पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 अथवा अनूसूची-2 में किसी जाति/वर्ग को, यथास्थिति, जोड़ या हटा सकेगी ।"

3. बिहार अधिनियम 3, 1992 से उपाबद्ध अनुसूची 1 एवं 2 का संशोधन ।- उक्त अधिनियम में -

(i) अनुसूची 1 में क्रमांक (94) के बाद निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द जोड़े जायेंगे, यथा :-

"(95) अमात
(96) चुड़ीहार (मुस्लिम)
(97) प्रजापति (कुम्हार)
(98) राईन या कुंजरा (मुस्लिम)
(99) सोयर"

(ii) अनुसूची 2 में क्रमांक (36) के बाद निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द जोड़े जायेंगे, यथा :-

"(37) दांगी"

(iii) अनुसूची 2 में क्रमांक (20) में शब्द "पोहार" के बाद शब्द "कसौधन" जोड़ा जायेगा ।

(iv) अनुसूची 2 में निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द विलोपित किये जायेंगे, यथा :-

"(1) अमात
(8) चुड़ीहार (मुस्लिम)
(16) प्रजापति (कुम्हार)
(26) राईन या कुंजरा (मुस्लिम)"

4. निरसन और व्यावृत्ति ।- (1) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 1995 (बिहार अध्यादेश सं० 25, 1995) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सं० एल० जी० 1-07/95 लेज०-24–बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 11 जनवरी, 1996 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :-

[BIHAR ACT 6, 1996]

THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1995

AN

ACT

To amend the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty-sixth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement .— (1) This Act may be called the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Second Amendment) Act, 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of a new section after section 14 in Bihar Act 3 of 1992 .— In the Bihar Reservation of vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act 3, 1992) (hereinafter referred to as the said Act), after section 14 the following new section shall be inserted, namely :—

"14 A. Power to add or remove Castes/Classes in Schedules I and II of the Act .— The State Government may, on the recommendation of the Bihar State Commission for Backward Classes, add or remove, as the case my be, any Caste/Class from Schedule I or Schedule II appended to the Act by notification in the Official Gazette."

3. Amendment of Schedules I and II appended to the Bihar Act 3, 1992 .— In the said Act —

(i) in Schedule I, after serial no. 94, the following figures, brackets and words shall be added, namely :—

"(95) Amat
(96) Churihar (Muslim)
(97) Prajapati (Kumhar)
(98) Raeen or Kunjara (Muslim)
(99) Soyar."

(ii) in Schedule II, after serial no. 36, the following figures, brackets and words shall be added, namely :—

"(37) Dangi."

(iii) in Schedule II, in serial no. 20 after the words "Poddar" the word "Kasaodhan" shall be added.

(iv) in Schedule II, the following figures, brackets and words shall be deleted, namely:—

"(1) Amat
(8) Churihar (Muslim)
(16) Prajapati (Kumhar)
(26) Raeen or Kunjara (Muslim)"

4. Repeal and Savings .— (i) The Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Second Amendment) Second Ordinance, 1995 (Bihar Ordinance No. 25, 1995) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of the powers under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या - 1-स्था०-5031/95 का०-7

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मो० हारुण रशीद, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 15 जनवरी, 1996

विषय :- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या-9277, दिनांक 29.5.1971 की कंडिका-4 के अनुपालन में सहकारिता विभाग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है ।

सहकारिता विभाग के अधीनस्थ सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु कालावधि :-

क्रमांक	प्रोन्नति के निम्नतर पद	प्रोन्नति के उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए कालावधि
1.	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	कनीय प्रवर कोटि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	5 वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	वरीय प्रवर कोटि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	5 वर्ष
3.	वरीय प्रवर कोटि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	सुपर टाईम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	3 वर्ष

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी ।

3. पूर्व में जो कालावधि निर्धारित की गई है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के लिए उसे विलोपित समझा जाय। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- मो० हारुण रशीद

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में ठकुराई (मुस्लिम) जाति को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने, बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग द्वारा बिहार अधिनियम-3, 1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच की जायेगी, और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जायेगी । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-12, 1993 की धारा-9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य रहेगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांच के बाद अनुशंसा की गयी है कि ठकुराई (मुस्लिम) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की अनुसूची-1 में समाविष्ट किया जाय ।

अत: राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में ठकुराई (मुस्लिम) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 100 पर अंकित किया जाए ।

इस समावेशन के फलस्वरूप ठकुराई (मुस्लिम) जाति के सदस्यों को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध-सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । यह 14 नवम्बर, 1995 के बाद उपलब्ध होगा ।

आदेश :- अत: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी

विभाग/ विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -11/वि० जाति नि० 1/95 का०-178 पटना-15, दिनांक 18 दिसम्बर, 95

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक क्षेत्र के उपक्रमों/ पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या-11/वि०-89/94 (अंश) का०-161

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सरकार के सचिव/सभी सरकार के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8 दिसम्बर, 95

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल पिटिशन 631/94- अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार सरकार-अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में दिनांक 4.9.95 को पारित आदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में दिनांक 4.9.95 को पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

All communications should be addressed to the Registrar, Supreme Court, by designation, not by name.

2019/94/SC/PILC
Supreme Court
INDIA

Dated New Delhi, the 9th. September, 1995

Telegraphic Address — "SUPREMECO"

From,

Assistant Registrar, Supreme Court of India.

To,

1. State of Bihar,
through the Chief Secretary to the Government of Bihar,
Main Secretariat, Patna

2. The Secretary,
Department of Personnel & Administrative Reforms ,
Government of Bihar, Main Secretariat, Patna

3. Union of India,
through Secretary, Ministry of Welfare, Shastri Bhawan, New Delhi,

4. The Chief Secretary,
Government of U.P., Lucknow (U.P.)

IN THE MATTER OF :

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 631 OF 1994

(Under Article 32 of the Constitution of India)

Ashok Kumar Thakur ..... Petitioner

Versus

State of Bihar & ors. ..... Respondents.

Sir,

I am directed to forward herewith for your information and compliance and necessary action a certified copy of the Judgement of the Supreme Court dated 4th September, 1995 allowing the Writ Petition above mentioned.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Encl : as above.

Sd/- Assistant Registrar,
Supreme Court of India.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

ORIGINAL JURISDICTION

19162

WRIT PETITION (C) NO. 631 OF 1994

Ashoka Kumar Thakur ..... Petitioner

Versus

State of Bihar and ors. ..... Respondents

[With WP (C) 138/95, 771/94 and 65/94]

JUDGMENT

Kuldip Singh, J.

Constitutional validity of the criteria, for determining the 'creamy layer' for the purpose of exclusion from backward classes, laid-down by the States of Bihar and Uttar Pradesh, has been challenged in these writ petitions under Article 32 of the Constitution of India.

A Nine-Judge Bench of this Court in "Mandal case" - Indira Sawhney vs. Union of India [1992 Supp (3) SCC 2,171] - authoritatively interpreted various aspects of Article 16 (4) of the Constitution of India. While holding that Article 16 (4) aims at group backwardness this Court came to conclusion that socially advanced members of a backward class- 'creamy layer'- have to be excluded from the said 'class'. It was held that the 'class' which remains after excluding the 'creamy layer' would more appropriately serve the purpose and object of Article 16 (4).

The protective discrimination in the shape of job reservations under Article 16(4) has to be programmed in such a manner that the most deserving section of the backward class is benefitted. Means-test by which 'creamy layer' is excluded, ensures such a result. The process of identifying backward class cannot be perfected to the extent that every member of the said class is equally backward. There are bound to be disparities in the class itself. Some of the members of the class may have individually crossed the barriers

of backwardness but while identifying the class they may have come within the collectivity. It is often seen that comparatively rich persons in the backward class are able to move in the society without being discriminated socially. The members of the backward class are differentiated into superior and inferior. The discrimination which was practiced on them by the higher class is in turn practiced by the affluent members of the backward class on the poorer members of the same class. The benefits of social privileges like job reservations are mostly chewed up by the richer or more affluent sections of the backward class and the poorer and the really backward sections among them keep on getting poorer and more backward. It is only at the lowest level of the backward class where the standards of deprivation and the extent of backwardness may be uniform. The jobs are so very few in comparison to the population of the backward classes that it is difficult to give them adequate representation in the State services. It is, therefore, necessary that the benefit of the reservation must reach the poorer and the weakest section of the backward class. Economic ceiling to cut off the backward class for the purpose of job reservations is necessary to benefit the needy sections of the class. The means-test is, therefore, imperative to skim-off the affluent section of the backward class.

We may refer to the opinions given by the learned judges in 'Mandal case' on the question of exclusion of the 'creamy layer' from the backward class.

P. B. Sawant, J. spoke about the 'creamy layer' in the following words :

> "The correct criterion for judging the forwardness of the forwards among the backward classes is to measure their capacity not in terms of the capacity of others in their class, but in terms of the capacity of the members of the forward classes, as stated earlier. If they cross the rubicon of backwardness, they should be taken out from the backward classes and should be made disentitled to the provisions meant for the said classes.

It is necessary to highlight another allied aspect of the issue, in this connection. What do we mean by sufficient capacity to compete with others. Is it the capacity to compete for Class IV or Class III or higher class posts. A Class IV employee's children may develop capacity to compete for Class III posts and in that sense, he and his children may be forward compared to those in his class who have not secured even Class IV posts. It cannot, however, be argued that on that account, he has reached the 'creamy' level. If the adequacy of representation in the services as discussed earlier, is to be evaluated in terms of qualitative and not mere quantitative representation, which means representation in the higher rungs of administration as well, the competitive capacity should be determined on the basis of the capacity to compete for the higher level posts also. Such capacity will be acquired only when the backward sections reach those levels or at least, near those levels."

R. M. Sahai, J. held that the exclusion of 'creamy layer' is a social purpose. Any legislation or executive action to remove such persons individually or collectively cannot be constitutionally invalid. The learned judge elaborated his conclusions as under :—

"More backward and backward is an illusion. No constitutional exercise is practical approach to the problem. The collectivity or the group may be backward class but the individuals from that class may have achieved the social status or economic affluence. Disentitle them from claiming reservation.

Therefore, while reserving posts for backward classes, the departments should make a condition precedent that every candidate must disclose the annual income of the parents beyond which one could not be considered to be backward. What should be that limit can be determined by the appropriate State. Income apart, provision should be made that wards of those backward classes of persons who have achieved a particular status in society either political or social or economic or if their parents are in higher services then such individuals should be precluded to avoid monopolisation of the services reserved for backward classes by a few. Creamy layer, thus, shall stand eliminated."

B. P. Jeevan Reddy, J. speaking for the Court enunciated the concept of 'creamy layer' in the following words :–

"The very concept of a class denotes a number of persons having certain common traits which distinguish them from the others. In a backward class under clause (4) of Article 16, if the connecting link is the social backwardness, it should broadly be the same in a given class. If some of the members are far too advanced socially (which in the context, necessarily means economically and, may also mean educationally) the connecting thread between them and the remaining class snaps. They would be misfits in the class. After excluding them alone, would the class be a compact class. In fact, such exclusion

benefits the truly backward. Difficulty, however, really lies in drawing the line–how and where to draw the line. For, while drawing the line, it should be ensured that it does not result in taking away with one hand what is given by the other. The basis of exclusion should not merely be economic, unless, of course, the economic advancement is so high that it necessarily means social advancement. Let us illustrate the point. A member of backward class, say a member of carpenter caste, goes to Middle East and works there as a carpenter. If you take his annual income in rupees, it would be fairly high from the Indian standard. Is he to be excluded from the Backward Class. Are his children in India to be deprived of the benefit of Article 16 (4). Situation may, however, be different, if he rises so high economically as to become — say a factory owner himself. In such a situation, his social status also rises. He himself would be in a position to provide employment to others. In such a case, his income is merely a measure of his social status. Even otherwise there are several practical difficulties too in imposing an income ceiling. For example, annual income of Rs. 36,000 may not count for much in a city like Bombay, Delhi or Calcutta whereas it may be handsome income in rural India anywhere. The line to be drawn must be a realistic one. Another question would be, should such a line be uniform for the entire country or a given state or should

it differ from rural to urban areas and so on. Further, income from agriculture may be difficult to assess and, therefore, in the case of agriculturists, the line may have to be drawn with reference to the extent of holding. While the income of a person can be taken as a measure of his social advancement, the limit to be prescribed should not be such as to result in taking away with one hand what is given with the other. The income limit must be such as to mean and signify social advancement. At the same time, it must be recognised that there are certain positions, the occupants of which can be treated as socially advanced without any further enquiry. For example, if a member of a designated backward class becomes a member of IAS or IPS or any other All India Service, his status in society (social status) rises; he is no longer socially disadvantaged. His children get full opportunity to realise their potential. They are in no way handicapped in the race of life. His salary is also such that he is above want. It is but logical that in such a situation, his children are not given the benefit of reservation. For by giving them the benefit of reservation, other disadvantaged members of that backward class may be deprived of that benefit. It is then argued for the respondents that 'one swallow doesn't make the summer', and that merely because a few members of a caste or class become socially advanced, the class/caste as such does not cease

> to be backward. It is pointed out that clause (4) of Article 16 aims at group backwardness and not individual backwardness. While we agree that clause (4) aims at group backwardness, we feel that exclusion of such socially advanced members will make the 'class' a truly backward class and would more appropriately serve the purpose and object of clause (4). (This discussion is confined to Other Backward Class only and has no relevance in the case of Scheduled Tribes and Scheduled Castes)..... Keeping in mind all these considerations, we direct the Government of India to specify the basis of exclusion– whether on the basis of income, extent of holding or otherwise– of 'creamy layer".

It is difficult to draw a line where a person, belonging to the backward class, ceases to be so and become part of the 'creamy layer'. It is not possible to lay down the criteria exhaustively. This ..... however, speaking through Jeevan Reddy, J. dealt with the question elaborately and has brought home the point seccinctly by illustrating various stages where a member of a backward class ceases to be backward and starts floating with the "creamy layer".

Pursuant to the directions by this Court in 'Mandal Case' Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) issued office memorandum dated September 8, 1993 providing for 27% reservation for the Other Backward Classes. Para 2 (C) of the memorandum excludes the persons/ sections mentioned in column 3 of the Schedule to the said memorandum. In other words, the Schedule consists of the 'creamy layer'. It would be useful to reproduce the relevant paras of the said memorandum hereunder :

"OFFICE MEMORANDUM

Subject : Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India – Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT) dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgment in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case [Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990] the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated 13.8.90 referred to in para (1) above is hereby modified to provide as follows :

(a) 27% (twenty-seven percent) of the vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the Other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) .....

(c) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections mentioned in column 3 of the Schedule to this offfice memorandum.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupation, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

(d) .....

(e) .....

3. .....

SCHEDULE

Description of category		To whom rule of exclusion will apply
1	2	3
I. CONSTITUTIONAL POSTS		Son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme Court and of the High Courts; (d) Chairman & Members of UPSC and of the State Public Service Commissions; Chief Election Commissioner; Comptroller and Auditor General of India; (e) Persons holding Constitutional positions of like nature.
II. SERVICE CATEGORY.		Son(s) and daughter(s) of
	A. Group A/Class I officers of the All India Central and State Services (Direct Recruits)	(a) Parents, both of whom are Class I officers; (b) Parents, either of whom is a Class I officer; (c) Parents, both of whom are Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation. (d) Parents, either of whom is a Class I officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years.

	(e) Parents both of whom are Class I officers die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years. Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases : (a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class-I officers and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation. (b) A lady belonging to OBC category has got married to a Class-I officer, and may herself like to apply for a job.
B. Gourp B/Class II officers of the Central & State Services (Direct Recruitment)	Son(s) and daughter(s) of (a) parents both of whom are Class II officers; (b) parents of whom only the husband is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier; (c) parents, both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation;

(d) parents of whom the husband is a Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II officer and the wife dies or suffers permanent incapacitation; and

(e) parents of whom the wife is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation :

Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases :

(a) Parents both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation.

(b) Parents, both of whom are Class II officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.

C. Employees in Public Sector Undertakings etc. — The criteria enumerated in A & B above in this Category will apply mutatis mutandis to officers holding equivalent or comparable posts in USUs, Banks, Insurance Organisations, Universities, etc. and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment, pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria

specified in Category VI below will apply to the officers in these Institutions.

III. ARMED-FORCES INCLUDING PARAMILITARY FORCES (Persons holding Civil Posts are not included)

Son(s) and daughter(s) of parents either or both of whom is or are in the rank of Colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the Para Military Forces.

Provided that :—

(i) If the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces (i.e the category under consideration) the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel;

(ii) The service ranks below Colonel of husband and wife shall not be clubbed together;

(iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in Civil employment, this will not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently.

IV. PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN THE TRADES AND INDUSTRY

(i) Persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered accountant, Income-Tax. consultant, Financial or management consultant, dental surgeon, engineer, architect, computer specialist, film artists and other film professional, author, playwright, sports person, sports professional, media professional or any other vocations of like status.

Criteria specified against category VI will apply.

(II) Persons engaged in trade, business and industry.	Criteria specified against category VI will apply Explanation :— (i) Where the husband is in some profession and the wife is in a Class II or lower grade employment, the income/ wealth test will apply only on the basis of the husband's income. (ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or lower rank post, then the income/ wealth criterion will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with it.
V. PROPERTY OWNERS A. Agricultural holdings	Son (s) and daughter (s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns: (a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statutory area, or (b) both irrigated and unirrigated land, as follows :— (i) The rule of exclusion will apply where the pre-condition exists that the irrigated area (having been brought to be single type under common denominator) 40% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this pre-condition of not less than 40% exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This will be done by converting the unirrigated land on the basis of the conversion formula existing, into the irrigated type. The

	Irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 80% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion will apply and disentitlement will occur. (ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigated.
B. Plantations. (i) Coffee, tea, rubber etc.	Criteria of income/wealth specified in category VI below will apply.
(ii) Mango, citrus, apple plantations etc.	Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this category will apply.
C. Vacant land and/ or buildings in urban areas or urban agglomorations.	Criteria specified in Category VI below will apply. Explanation : Building may be used for residential, industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.
VI. INCOME/WEALTH TEST	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the wealth Tax Act for a period of three consecutive years. (b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above.

Explanation :

(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed;

(ii) The income criteria in terms of rupee will be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interregnum may be less.

Explanation : Wherever the expression "permanent incapacitation" occur in this schedule, it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service."

We have carefully examined the criteria for identifying the 'creamy layer' laid down by the Government of India in the Schedule, quoted above, and we are of the view that the same is in conformity with the law laid down by this Court in 'Mandal case'. We have no hesitation in approving the rule of exclusion framed by the Government of India in para 2(c) read with the Schedule of the Office Memorandum quoted above. Learned counsel for the petitioners have also vehemently commended that the State Governments should follow the Government of India and lay down similar criteria for identifying the 'creamy layer'.

In the light of the above background, we may examine the criteria for the identification of the 'creamy layer' as laid down by the States of Bihar and Uttar Pradesh.

The Governor of Bihar promulgated Ordinance No. 5 of 1995 on January 27, 1995 called "the Bihar Reservation of vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes) (amendment) Ordinance, 1995." By the said Ordinance section 4 of the Bihar Act 3 of 1992 was amended and after the second proviso, the following proviso was added;

"Provided also that reservation under clause (d) shall not apply to the category of backward classes specified in Schedule III."

Schedule III is reproduced hereunder :

SCHEDULE III

[See Section 4 (2)]

1. The son or daughter of the President of India, the Vice-President of India, the Chief Justice and Judges of the Supreme Court of India, the Chief Justice and Judges of the High Courts, the Chairman and Members of the Union Public Service Commission and the Chief Election Commissioner;

2. The son or daughter of such officers who has been directly recruited in Class II services of the Central Government or a State Government or an undertaking or an institution fully or partially financed by them; and

(a) Whose income from salary is rupees ten thousand or more per mensum, and

(b) Whose wife or husband, as the case may be, is at least a graduate, and

(c) Who or his wife or her husband, as the case may be, owns a house in an urban area, and

(d) Whose mother or father has also been directly recruited to Class I services.

Explanation :— Class I means the pay bracket fixed by the State Government from time to time for Class I.

3. The son or daughter of such person engaged as doctor, advocate, chartered accountant, tax consultant, financial consultant, management consultant, architect or other professionals, and

(a) Whose average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakhs per annum; and

(b) Whose wife or husband, as the case may be, is at least a graduate; and

(c) Whose family owns immovable property at least of rupees twenty lakhs.

4. The son or daughter of such person engaged in trade or commerce, and :—

(a) Whose average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakhs per annum; and

(b) Whose wife or husband, as the case may be, is at least a graduate, and

(c) Whose family owns immovable property at least of rupees twenty lakhs.

5. The son or daugher of such industrialist :—

(a) Whose level of investment in running unit or units are more than rupees ten crores; and

(b) such unit or units are engaged in commercial production for at least five years; and

(c) His wife or husband, as the case may be, is at least a graduate.

6. The son or daughter of such agricultural land-holder :—

(a) Whose average income from all sources other than agriculture for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakhs per annum; and

(b) Whose wife or husband, as the case may be, is atleast a graduate, and

(c) Who or his wife or her husband, as the case may be, owns house at least of rupees twenty lakhs in an urban area.

7. The son or daughter of person, other than the persons specified in serial 1 to 6 of this schedule :—

(a) Whose main source of income is other than animal husbandary, fisheries, poultry, weaving, craftsmanship, handicraft and artisanship; and

(b) Whose average income from all sources for three conseautive financial years is not less than rupees ten lakhs per annum; and

(c) Whose wife or husband, as the case may be, is at least a graduate; and

(d) Whose family owns immovable property atleast of rupees twenty lakhs.

8. If a person included in serial 1 to 7 of this schedule performs inter-castes marriage with a backward class person other than the categories under serial 1 to 7 of this schedule, his/her son or daughter shall not be excluded.

Note :— I. The level of income and the value of property shall be modified taking into account the variation in the money value every three years or less period, as the situation may demand.

II. An affidavit filed by the father or the mother of the candidate, or in case of their death, by the candidate himself, shall be deemed to be decisive in respect of income, value of property and educational qualification."

So for as the state of Uttar Pradesh is concerned the categories sought to be excluded from the backward classes (creamy layer) are mentioned in Schedule II read with section 3 (b) of the Uttar Pradesh Public Services Reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 1994. The said categories are as under :—

"Categories of Persons excluded	Criteria for exclusion
1. Sons and daughters of	
(a) IAS, IFS, IPS, Indian Forest Service, other central service (direct or promotee)	(i) Income from salary of such member of service is 10,000/- or above per mensum.
(b) U.P. Civil Service, U.P. Publice Service, State Services (Direct regruit).	(ii) Spouse is at least graduate.
	(iii) He or his spouse owns a house in urban area.
(c) Group A/Class I officers of any Deptt, or Ministry of Govt. of India or Educational Research or other institutions (no. 1 included in above (a)).	
(d) Group A/Class -I officer of any Deptt. or Institution of State Govt. (No. 1 included in (b) above).	
(e) An officer of defence forces or Para Military forces not below rank of colonel or equivalent.	
2. SONS AND DAUGHTERS OF Persons engaged in profession as a doctors, surgeon, engineers, lawyer, architect, Chartered Accountant, media & information Porfessional, management and other consultant film artist & other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as a share broker or in entertainment business.	(i) his average income from all sources should not be less than Rs. 10 lakhs per year for 3 consecutive financial years. (ii) Spouse at least a graduate. (iii) His family property (immovable) should be worth Rs. 20 lakh.
3. Sons and daughters of Businessman.	(i) Provided whose average income for 3 consecutive financial year is not less than Rs. 10 lakhs per annum. (ii) Spouse at least a graduate. (iii) Immovable family property worth at least 20 lakhs.
4. Sons and Daughters of Industrialist.	(i) Whose level of investment in running units is over Rs. 10 crore and such units are engaged in production for at least 5 years.

	(ii) Spouse at least a graduate.
5. Sons and Daughters of a person whose holdings is within limit fixed under the U.P. Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960.	(i) Has an income of Rs. 10 lakhs in a year from sources other than agriculture. (ii) His spouse at least a graduate.
6. Sons and Daughters of any other persons not mentioned in aforementioned categories.	(i) Whose income from all sources for 3 consecutive financial years is not less than Rs. 10 lakhs per annum. (ii) Spouse atleast a graduate. (iii) Immovable family property worth at least Rs. 20 lakhs."

This Court has categorically held in 'Mandal case' that person, belonging to a backward class, who becomes member of IAS, IPS or any other All India service, his children cannot avail the benefit of reservation. The States of Bihar and Uttar Pradesh have added further conditions such as salary of rupees ten thousand or more per mensum, the wife or husband to be graduate and one of them owning a house in an urban area. So far as the profession are concerned an income of Rs. 10 lakhs per anum has been fixed as the criteria. It s further provided that the wife or husband is at least graduate and the family owns immovable property of the value of at least rupees twenty lakhs. Similarly, the criteria regarding traders, industrialists, agriculturists and others is wholly arbitrary apart from being contrary to the guidelines laid down by this court in 'Mandal case'.

Multiple conditions have been provided in all the categories. The spouse to be a graduate and holding property in urban area are the conditions attached to almost every category. These conditions have no nexus with the object sought to be achieved. Since the conditions are not sevarable the two criterias as a whole have to be struck down.

This Court, in 'Mandal case' has clearly and authoritatively laid down that the affluent part of a backward class called 'creamy layer' has to be excluded from the said class and the benefit of Article 16 (4) can only be given to the "Class' which remains after the exclusion of the 'creamy layer'. The backward class under Article 16 (4) means the class which has no element of 'creamy layer' in it. It is mandatory under Article 16 (4) – as interpreted by this Court–that the state must identify the 'creamy layer' in a backward class and thereafter by excluding the 'creamy layer' extend the benefit of reservation to the 'class' which remains after such exclusion. This Court has laid down clear and easy to follow, guidelines for the

identification of 'creamy layer'. The States of Bihar and Utter Pradesh have acted wholly arbitrary and in utter violation of the law laid down by this court in 'Mandal case'. It is difficult to accept that in India where the per capita national income is Rs 6929 (1993-94), a person who is a member of the IAS and a professional who is earning less than Rs. 10 lakhs per annum is socially and educationally backward. We are of the view that the criteria laid down by the States of Bihar and Uttar Pradesh for identifying the 'creamy layer' on the face of it is arbitrary and has to be rejected.

We, therefore, hold that the above quoted criteria, for identification of 'creamy-layer', laid down by the States of Bihar and Uttar Pradesh is violative of artice 16 (4), wholly arbitrary--violative of Article 14-- and against the law laid down by this Court in 'Mandal case.'

We allow the writ petitions and quash (except clause 1 of schedule III) the Bihar reservation of vacancies in posts and services (for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes) (Amendment) Ordinance, 1995 (also the Act if Ordinance has been converted into Act). We also quash schedule II read with Section 3 (b) of the Uttar Pradesh Public Services Reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 1994.

We further direct that for the academic year 1995-96 the States of Uttar Pradesh and Bihar shall follow the criteria laid down by the Government of India reproduced above, in the memorandum dated September 8, 1993. It will be open to the two states to lay down fresh criteria for the subsequent years in accordance with law . No costs.

Mr. Venugopal, learned counsel appearing for the petitioners, stated that there are various other lawpoints in these writ petitions which were not raised and he sought liberty to raise the same in appropriate proceedings, if necessary. We order accordingly.

New Delhi (KULDIP SINGH)

September 4, 1995. (S. SAGHIR AHMAD)

पत्र संख्या-11/वि० 5 न्याय-1015/91 खण्ड-का०-134

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० अरुमुगम, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयोग/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/बिहार सरकार के अन्य लोक उपक्रम ।

पटना-15, दिनांक 14 नवम्बर, 1995

विषय :- लोहार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान करने हेतु औपबंधिक रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि बिहार राज्य लोहार जनजाति संघर्ष मोर्चा द्वारा दायर एम० जे० सी० संख्या 577/94, 575 एवं 1298/94 में समेकित रूप से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा लोहार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है ।

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से अनुदेश की मांग की गयी, चूँकि किसी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की सुविधा प्रदान करने का अधिकार केन्द्र सरकार को ही है । साथ ही, राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल० पी० दायर किया गया, जिसमें अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हो सका है ।

भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोहार जाति के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दिये गये आवेदन पत्रों की जाँचोपरान्त पूर्णतः औपबंधिक रूप से उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जाय :-

"1. यह जाति प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर औपबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है ।

2. यह जाति प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी. में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होगा ।

3. यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा भविष्य में निर्गत होने वाले किसी आदेश से प्रभावित होगा।"

अतः अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के उक्त निदेशानुसार लोहार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक जाँचोपरान्त उन्हें पूर्णतः औपबंधिक रूप से जाति प्रमाण पत्र उपर्युक्त शर्तों के साथ निर्गत किया जाय । साथ ही, यह भी अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस प्रसंग में कार्रवाई हेतु सूचित करने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- के० अरुमुगम
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-11/वि० 5 न्याय 03/95 (पार्ट) का०-132

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० अरुमुगम, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना ।

पटना-15, दिनांक 10 नवम्बर, 1995

विषय :- 38वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभिन्न राजपत्रित पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए रिक्तियों में रोस्टर के अनुपालन के संबंध में ।

प्रसंग :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 3977, दिनांक 13.4.94 के प्रसंग में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 3977, दिनांक 13.4.94 द्वारा सूचित किया गया था कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-34, दिनांक 11.3.94 के अनुसार रोस्टर क्लियरेन्स करवा जाय ।

सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-4414/94- श्रीमती शर्मिला कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार अध्यादेश संख्या-18, दिनांक 27 अप्रील, 1993 की धारा-4(6) (ग) में किये गये इस प्रावधान को "इस अध्यादेश के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी धारा-4 का उपबंध ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिसमें चयन की सभी औपचारिकताएं दिनांक 28 अप्रील, 1993 तक पूरी कर ली गयी हैं किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है", को अमान्य कर दिया गया है । माननीय न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाएं एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 38वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में अनुमान्य था उसी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग अपनी अनुशंसा रिक्तियों को भरने में करें ।

राज्य सरकार ने सी. डब्लू. जे. सी. संख्या-4414/94 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल. पी. संख्या-10143/95 दायर किया है, जो सम्प्रति लंबित है ।

अतः राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना से बचने हेतु भली-भाँति विचार कर निर्णय लिया है कि 38वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पुराने रोस्टर का अनुपालन किया जाए एवं पुराने रोस्टर के अनुसार ही चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्तियां इस शर्त के साथ की जाय कि राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किये गए एस० एल० पी० संख्या-10143/95 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश से ऐसी नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी ।

विश्वासभाजन,
ह०/- के० अरुमुगम
आयुक्त एवं सचिव ।